



The Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission Act, 2014

Act No. 20 of 2014

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार 24 जून, 2014 ई0
आषाढ़, 03, 1936 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
संख्या 181 / xxxvi(3)/2014/39(1) / 2014
देहरादून, 24 जून, 2014

अधिसूचना
विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक, 2014 को दिनांक 23 जून, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 20 वर्ष 2014 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2014

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या: 20 वर्ष 2014)

अधीनस्थ सेवाओं की कतिपय श्रेणियों के लिये एक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्थापना और उससे सम्बद्ध और अनुषांगिक विषयों की व्यवस्था के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

- | | | |
|---------------------------|----|--|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | 1. | (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2014 है।
(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इसे निमित्त नियत करें। |
| लागू होना | 2. | इस अधिनियम के उपबन्ध लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के समूह "ग" के समस्त सीधी भर्ती के पदों पर लागू होंगे। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या अन्य निकाय के समूह "ग" के पदों को भी आयोग की परिधि में रख सकती है अथवा हटा सकती है। |
| अपवाद | 3. | इस अधिनियम की कोई बात—
(क) राज्य विधान सभा के सचिवालय में,
(ख) उच्च न्यायालय या उसके अधीनस्थ न्यायालय के अधीन,
(ग) राज्य लोक सेवा आयोग के अधीन,
(घ) उत्तराखण्ड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के अधीन नियुक्त लोकायुक्त के अधीन,
(ङ.) उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम द्वारा शासित, किसी पद पर भर्ती के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी। |
| परिभाषाएं | 4. | जब तक कि संदर्भ के अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में —
(क) "नियुक्त प्राधिकारी" से किसी सेवा या पद के सम्बन्ध में, ऐसी सेवा में या पद पर नियुक्त करने के लिये सशक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;
(ख) "आयोग" से धारा 5 के अधीन गठित उत्तराखण्ड सेवा चयन |

आयोग अभिप्रेत है;

- (ग) "अध्यक्ष" से आयोग के अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (घ) "समूह 'ग' के पद" से राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस रूप में विनिर्दिष्ट पद अभिप्रेत है;
- (ङ.) "सदस्य" से आयोग के सदस्य से है और जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है,
- (च) "सचिव" से आयोग के सचिव अभिप्रेत है।
- (छ) "भर्ती का वर्ष" से किसी कलेण्डर वर्ष पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

अध्याय— दो

आयोग की स्थापना

- आयोग की स्थापना 5. ऐसे दिनांक को और से, जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे एक आयोग स्थापित किया जायेगा जो उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नाम से जाना जायेगा।
- आयोग की संरचना 6. (1) आयोग में एक अध्यक्ष और दो से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य होंगे, जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर नियुक्त करे।
- परन्तु यह कि कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र होगा किन्तु अपनी पदावधि के पश्चात सदस्य या अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्ति या पद पर बने रहने के लिये पात्र नहीं होगा।
- (2) यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाय या यदि अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो ऐसे कर्तव्यों का पालन, यथास्थिति जब तक कि उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति पद ग्रहण न कर ले या, जब तक कि अध्यक्ष अपना कार्यभार पुनः ग्रहण न कर लें, ऐसे सदस्य द्वारा किया जायेगा, जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे।
- अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति 7. अध्यक्ष और अन्य सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे;
- परन्तु यह कि आयोग के आधे सदस्य यथासाक्य वे व्यक्ति होंगे जिन्होंने अपनी नियुक्ति के दिनांक को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन समूह 'क' के पदों पर कम से कम दस वर्ष तक पद धारण किये हों।
- अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की 8. (1) अध्यक्ष आयोग के प्रशासन का प्रभारी होगा और उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी—

शक्तियां
कर्तव्य

और

- (क) एक या अधिक गैर सदस्यों सहित या उनके बिना सदस्यों में से समितियों या उप समितियों का गठन करना;
- (ख) सदस्यों, समितियों और उप-समितियों को ऐसा कार्य आवंटित करना जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से आवंटित न किया गया हो।
- (ग) आयोग और उसके सदस्यों के कार्य का समन्वय करना।
- (घ) सदस्यों और आयोग के अधिकारियों को अवकाश स्वीकृत करना और उनके दौरे के कार्यक्रम को अनुमोदित करना।
- (2) सदस्यगण, अभ्यर्थियों की परीक्षाओं और साक्षात्कारों के संचालन में अध्यक्ष की सहायता करेंगे और ऐसे अन्य कार्य करेंगे जो उन्हें इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों के द्वारा या उसके अधीनस्थ अध्यक्ष द्वारा उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन आवंटित किये जायें।

सदस्यों
पदावधि और सेवा
की शर्तें

की 9.

- (1) अध्यक्ष या प्रत्येक अन्य सदस्य अपना पदभार ग्रहण करने के दिनांक से छः वर्ष के लिये पद धारण करेगा;

¹{परन्तु यह कि कोई सदस्य जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है, अड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात या छः वर्ष का अपना कार्यकाल पूर्ण कर लेने पर, जो भी पहले हो, इस रूप में पद धारण नहीं करेगा।}

- (2) अध्यक्ष या अन्य सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग सकता है।

1. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 7 वर्ष 2015 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापन।

(3) अध्यक्ष या अन्य सदस्य को इस आधार पर कि उसने धारा 10 में विनिर्दिष्ट कोई अनर्हता प्राप्त कर ली है या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा यथाविहित रीति में की गई जांच जिसमें कि ऐस सदस्य को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोप सूचित किये गये हों और उन आरोपों के सम्बन्ध में उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर भी दिया गया हो, के पश्चात कदाचार या असमर्थता के आधार पर राज्य सरकार द्वारा किये गये किसी आदेश द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है।

- अध्यक्ष या अन्य सदस्य के लिये अनर्हता** 10. अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये कोई व्यक्ति अनर्ह हो जायेगा यदि वह –
- (क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाये;
- (ख) किसी ऐसे अपराध के लिये, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता हो, दोष सिद्ध हो और कारावास की सजा दी गयी हो;
- (ग) अस्वस्था मस्तिष्क का हो गया हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो।
- सहयुक्त करने की शक्ति** 11. आयोग अपने साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिये, जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा अवधारित किये जायें, किसी ऐसे व्यक्ति को सहयुक्त कर सकता है जिसकी सहायता या सलाह वह इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये लेना चाहें।
- आयोग की कार्यवाहियों का अवधिमान्य न होना** 12. आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जायेगी कि—
- (क) आयोग के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि है;
- (ख) अध्यक्ष या उसके अन्य सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि या अनियमितता है, या
- (ग) ऐसे कार्य या कार्यवाही में कोई ऐसी त्रुटि या अनियमितता है जिसका कोई तात्त्विक प्रभाव नहीं पड़ता है।
- आयोग का सचिव** 13. (1) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया आयोग का एक सचिव होगा जो आयोग के कार्यालय का प्रधान होगा।
- (2) सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों में विनिर्दिष्ट

किये जायें या जैसा अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया जाये।

आयोग के आदेशों का
अधिप्रमाणीकरण 14.

आयोग के सभी विनिश्चय और आदेश सचिव या इस निमित्त
आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से
अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

अध्याय—तीन

आयोग की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य का आवंटन

आयोग की शक्तियां और
कर्तव्य 15.

- (1) आयोग की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, अर्थात्—
 - (क) भर्ती की रीति से सम्बन्धित विषयों पर मार्ग-दर्शक सिद्धान्त तैयार करना;
 - (ख) परीक्षाएं संचालित करना, साक्षात्कार करना और अभ्यर्थियों का चयन करना।
 - (ग) खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये विशेषज्ञों का चयन और उन्हें आमंत्रित करना और परीक्षक नियुक्त करना।
 - (घ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जैसी विहित की जायें।
- (2) आयोग, उपधारा (1) में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने या कर्तव्यों का पालन करने में ऐसे नियमों और विनियमों द्वारा जैसे इस निमित्त बनाये जायें, मार्गदर्शित होगा।

आयोग द्वारा किये जाने
वाले कार्य 16.

आयोग, अपना कार्य जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष या अन्य सदस्यों या उसकी किसी समिति द्वारा अपने कृत्यों का सम्पादन करना भी है, सुविधा से करने के लिये राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विनियम बनायेगा और ऐसे विनियमों के अनुसार किया गया कार्य आयोग द्वारा किया गया कार्य समझा जायेगा:

परन्तु यह कि राज्य सरकार के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह किसी ऐसे विनियम को मूल या उपान्तरित रूप में अपना अनुमोदन दें।

अध्याय—चार

रिक्तियों का अधिसूचित किया जाना और नियुक्तियां

- रिक्तियों का अधिसूचित किया जाना 17.
- (1) नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और इस निमित्त तत्सम प्रवृत्त विधि के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।
- (2) रिक्तियों ऐसी रीति से आयोग को अधिसूचित की जायेगी जैसी विहित की जाय।
- आयोग द्वारा चयन 18.
- (1) आयोग धारा 17 के अधीन रिक्तियों की सूचना के पश्चात यथासम्भव शीघ्र परीक्षा आयोजित करेगा या साक्षात्कार करेगा या दोनों ही करेगा और उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की एक सूची विहित रीति से तैयार करेगा।
- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी और नियुक्ति प्राधिकारी इस प्रकार भेजी गयी सूची से उसमें उल्लिखित क्रम में नियुक्तियां करेगा।

अध्याय—पांच

आयोग के समक्ष कार्य

- बैठक में निर्णय 19.
- आयोग की किसी बैठक ने सभी मामलों का अवधारण उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और मतों की समानता की स्थिति में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले सदस्य का एक द्वितीय या निर्णायक मत होगा।
- गणपूर्ति 20.
- आयोग की किसी बैठक के लिये सदस्यों की कुल संख्या के आधे से गणपूर्ति होगी:
- परन्तु गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गयी किसी बैठक के लिये गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

अध्याय—छः

वार्षिक रिपोर्ट

- वार्षिक रिपोर्ट 21. आयोग प्रत्येक वर्ष ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें गत वर्ष के कार्यकलाप का सही और पूरा विवरण दिया जायेगा और उसकी प्रतियां राज्य सरकार को अग्रसारित की जायेगी और राज्य सरकार उसे राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय—सात

प्रकीर्ण

- नियम बनाने की शक्ति 22. राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।
- विनियम बनाने की शक्ति 23. (1) आयोग, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में जिसके अन्तर्गत इस विधेयक के अधीन चयन करने के लिये परीक्षाएँ आयोजित करने या साक्षात्कार करने या दोनों के लिये फीस लेना भी है, विनियम बना सकती है या उन्हें संशोधित कर सकती है।
- (2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये विनियम का अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से असंगत नहीं होंगे।
- सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण 24. किसी व्यक्ति के विरुद्ध, किसी ऐसे कार्य के लिये जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये आशायित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

**THE UTTARAKHAND SUBORDINATE SERVICE SELECTION COMMISSION
ACT, 2014
[UTTARAKHAND ACT NO. 20 OF 2014]**

**An
Act**

to provide for the establishment of a Subordinate Services Selection Commission for certain categories for Subordinate Services and for matter connected therewith and incidental thereto.

It is Hereby enacted in the Sixty-five Year of the Republic of India as follows:-

**CHAPTER-1
PRELIMINARY**

- | | |
|-------------------------------------|--|
| Short title and Commencement | 1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission Act, 2014.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf. |
| Applicability | 2. The provisions of this Act, shall apply in relation to direct recruitment to all Group ‘C’ posts outside the purview of the Public Service Commission. The State Government may by notification add or withdraw any Group ‘C’ post from the purview of the Commission in a Board or a Corporation or other statutory body established by a controlled by the State Government. |
| Exception | 3. Nothing in the Act shall apply to recruitment to any post—
(a) in the Secretariat of the State Legislature;
(b) under the high court or a Court subordinate thereto;
(c) under the State Public Service Commission;
(d) under the Lokayukta appointed under the Uttarakhand Lokayukta Act, 2014; |

(e) under the Utrakhand Police Act.

Definition

4. In this Act, unless the context otherwise requires -

- (a) **“Appointing authority”** in relation to any service or post, means the authority empowered to make appointment to such service or post;
- (b) **“Commission”** means the Utrakhand Subordinate Services Selection Commission constituted under section 5;
- (c) **“Chairman”** means the Chairman of the Commission;
- (d) **“Group ‘C’ post”** means the post specified as such by the State Government from time to time ;
- (e) **“Member”** means the member of the Commission and includes Chairman;
- (f) **“Secretary”** means the Secretary of the Commission;
- (g) **“year of recruitment”** means the period of twelve months commencing on the first day of July of a Calendar year.

CHAPTER-II

ESTABLISHMENT OF THE COMMISSION

**Establishment
of the
Commission**

5. On and from such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf, there shall be established a Commission to be known as the Utrakhand Subordinate Service Selection Commission.

Composition of the Commission

6. (1) The Commission shall consist of a Chairman and such other Member not exceeding two as the State Government may from time to time appoint;

Provided that member shall be eligible for appointment as /Chairman but shall not be eligible for re-appointment or continuance in office either as Member of Chairman after the period of his term.

(2) If the office of the Chairman becomes vacant or if the Chairman by reason of absence or for any other reason is unable to perform the duties of his office, such duties shall, until some person appointed under sub-section (1) has assumed or, as the case may be until the Chairman has resumed his duties, be performed by member as the State Government may appoint for the purpose.

Appointment of Chairman and Member

7. The Chairman and other Members shall be appointed by the State Government:

Provided that as nearly as may be one half of the member of the of the Commission shall be the persons who on the date of their respective appointment have held office on Group 'A' post for atleast ten years under the Government of India or under the State Government.

Powers and duties of Chairman and other Member

8. (1) The Chairman shall be incharge of the administration of the Commission and shall have the power to-

(a) Constitute Committees or sub-committees from amongst the Member with or without one of more non-member;

- (b) allocate to Member, committees and sub-committees such work as is not specifically allocated by this bill or rules or regulation made there under;
 - (c) co-ordinate the working of the Commission and its Member;
 - (d) grant leave to and approve the tour programmes of Member and officers of the Commission;
- (2) The Member shall assist the Chairman in conduction the examinations and interviews of candidates and do such other work as may be allocated to them by or under this Act, the rules or regulation made there under, or by the Chairman under clause (b) of sub-section (1).

Terms of Office and conditions of service of Member 9.

- (1) The Chairman or every other Member shall hold office for a term of six years from the date he assumes his office;
- ¹[Provided that no member including the Chairman shall hold office as such after he as attained the age of sixty eight years or he has completed his term, whichever is earlier.]
- (2) The Chairman or other Member may, at any time, by writing under his hand addressed to the State Government resign from his office.

1- Subs. by section 2 of Utrakhand Act no. 7 of 2015.

- (3) The Chairman or other member may he removed from his office by an order made by the State Government on the

ground that he has acquired any of the disqualifications specified in section 10 or on the ground of misconduct or incapacity after an inquiry made by a judge of the High Court in the manner as may be prescribed in which such Member has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges.

Disqualification for being the Chairman or other Member

10. A person shall be disqualified for appointment as Chairman or other member if he-
- (a) becomes an undischarged insolvent;
 - (b) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the State Government, involves moral turpitude;
 - (c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court.

Power Associate

11. The Commission may associate with itself, in such manner and for such purposes as may be determined by regulations made under this Act, any person whose assistance or advice it may desire to have in carrying out any of the provision of this Act.

Proceedings of the Commission not to be invalidated

12. No bill or proceeding to the Commission shall be deemed to be invalid merely on the ground of –
- (a) any vacancy or defect in the constitution of the Commission;
 - (b) any defect or irregularity in the appointment of a person acting as the Chairman or other Member thereof; or
 - (c) any defect or irregularity in such act or proceeding not affecting the substance.

- Secretary of the Commission** 13. (1) There shall be a Secretary of the Commission appointed by the State Government, who shall be the Head of the Office of the Commission.
- (2) The Secretary shall exercise such powers and perform such duties as may be specified in the rules or regulations made under this Act or as may be directed by the Chairman.

- Authentication of the orders of the Commission** 14. All the decisions and orders of the Commission shall be authenticated by the signature of the Secretary or may other officer authorised by the Commission in this behalf.

CHAPTER-III

POWERS AND DUTIES OF THE COMMISSION AND ALLOCATION OF BUSINESS

- Powers and duties of the Commission** 15. (1) The Commission shall have the following powers and duties, namely-
- (a) to prepare guidelines on matters relating to method of recruitment;
 - (b) to conducted examinations, hold interview and make selection of candidates;
 - (c) to select and invite experts and to appoint examiners for the purposes specified in clause (b);
 - (d) to perform such other duties and exercise such other powers as may be prescribed.
- (2) In exercising the powers or performing the duties referred to in sub-section (1), the Commission shall be guided by such rules or regulations as may be made in this behalf;

- Business to be** 16. The commission shall, with previous approval of the State

**transacted by
Commission**

Government, make regulations for the convenient transaction of its business, including performance of its functions by the chairman or other members or a committee thereof and the business transacted in accordance with such regulations shall be deemed to have been transacted by the Commission;

Provided that it shall be lawful for the State Government to accord approval to any such regulation either in original or in modified form.

CHAPTER-IV

NOTIFICATION OF VACANCIES AND APPOINTMENT

**Notification of
Vacancies**

17. (1) The appointing authority shall determine and intimate to the Commission the number of vacancies to be filled through the Commission during the course of the year of recruitment as also the number of the vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other categories in accordance with the law for the time being in force in this behalf.
- (2) The Vacancies shall be notified to the Commission in such manner as may be prescribed.

**Selection by
the
Commission**

18. (1) The Commission shall, as soon as possible after the intimation of vacancies under section 17, hold examination or interview or both and prepare in the manner prescribed a list of the candidates who are found suitable.
- (2) The list referred to in sub-section (1) shall be forwarded to the appointing authority and the appointing authority shall make appointments from the list so forwarded to it in the order mentioned therein.

CHAPTER-V

BUSINESS BEFORE THE COMMISSION

Decision meeting in 19. All matters at any meeting of the Commission shall be determined by a majority of the members present and voting and in the case of equality of votes, the Chairman, or in his absence. The member presiding shall have a second or casting vote.

Quorum 20. The quorum for a meeting of the Commission shall be one-half of the total number of members;

Provided that no quorum shall be necessary for a meeting adjourned for want of quorum.

CHAPTER-VI

ANNUAL REPORT

Annual Reports 21. The Commission shall prepare every year, in such form and in such manner as may be prescribed, an annual report giving a true and full account of its activities during the previous year, and copies thereof shall be forwarded to the State Government and the State Government, shall cause the same to be laid before the house of the State Legislature.

CHAPTER-VII

MISCELLANEOUS

Power to make rules to 22. The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

Power to make regulations 23. (1) The Commission may, with the previous approval of the State Government make or amend regulations relating to the discharge of its functions under this Act including charging of fees for holding examinations or interviews or both for making selection under this Act.

(2) The regulations made under sub-section (1) shall not be

inconsistent with the provisions of this Act or the rules made thereunder.

**Protection of 24.
action taken
in good faith**

No, suit prosecution or other proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be under this Act.
